न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

दायर तारीखः 13.04.2018
प्रकरण संख्याः 15 / 2018 निर्णय दिनांकः 13.06.2018
न्याय आपके द्वार केम्पः गुडा

शेर सिंह पिता नाथा बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा

:– धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956:–

उपस्थितः
वादी की ओर से :– शेर सिंह पिता नाथा
प्रतिवादी की आरे से :– तहसीलदार खेरवाड़ा

:– निर्णयः–

वादी शेर सिंह पिता नाथा निवासी देमत तहसील खेरवाड़ा की ओर से दिनांक 13.04.2018 को यह वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत किया।

वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069 – 72 के खाता संख्या 101 / 31 एवं 121 / 122 में संयुक्त काश्तकार केसर बेवा नाथा, मगन, संधु, कान्ति पिता नाथा के बजाय राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त काश्तकार केसर बेवा नाथा, मगन, शेर सिंह, कान्ति पिता नाथा जाति दरोगा निवासी देमत करवाने का प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

आज आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में वादी की मौजूदगी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद से सम्बन्धित दस्तावेज यथा वादी का आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत गुडा द्वारा प्रमाणीकरण, संयुक्त खातेदार शंकर सिंह पिता शंभु, मोहन सिंह पिता जवान सिंह दरोगा के बयान, पटवारी हल्का गुडा की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट में संधु के बजाय शेर सिंह किये जाने की अनुशंषा पेश की गई।

उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में वर्णित जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में संयुक्त खातेदार केसर बेवा नाथा, मगन, संधु, कान्ति पिता नाथा दरोगा के बजाय राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त काश्तकार केसर बेवा नाथा, मगन, शेर सिंह, कान्ति पिता नाथा जाति दरोगा निवासी देमत की रिकार्ड शुद्धि कर अमल दरामद की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प गुडा में सरे इजलास सुनाया गाया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा